



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253003  
CG-DL-E-14032024-253003

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1292]  
No. 1292]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1358(अ).—मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 49) की खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति श्री ज्ञानेश कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) और डॉ. सुखबीर सिंह संधु, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में भारतीय चुनाव आयोग में उनके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. एच-11011/01/2023-प्रशासन-1 (वि.वि.)]

डॉ. राजीव मणि, सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2024

**S.O. 1358(E).**—In exercise of powers conferred by section 4 of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 (Act No. 49 of 2023), the President is pleased to appoint Shri Gyanesh Kumar, IAS(Retd.) and Dr. Sukhbir Singh Sandhu, IAS(Retd.) as Election Commissioners in the Election Commission of India, with effect from the date they assume charge of their office.

[F. No. H-11011/01/2023-Admn.I (LD)]

Dr. RAJIV MANI, Secy.